भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2287** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **29 जुलाई**, 2022/07 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों को जोड़ने वाली सड़क और रेल परियोजनाएं

†**2287. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :**

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्तनों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली सड़क और रेल परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) बिना रेल अथवा बिना चार लेन वाली सड़क वाले पत्तनों की संख्या कितनी है और उन परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनमें समय और लागत बढ़ गई है;

(ग) क्या सरकार ने देरी से बचने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में सभी बड़े और छोटे पत्तनों के कार्य-निष्पादन में संभारतंत्र संबंधी बाधाओं की पहचान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने माल की तेज आवाजाही के लिए किसी निजी पत्तन को बड़े और छोटे पत्तनों से जोड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, 101 पत्तन-सड़क संपर्कता परियोजनाएं हैं, जिनमें से 19 पूरी हो चुकी हैं और 82 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई, महापत्तनों और राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 90 पत्तन-रेल संपर्कता परियोजनाएं हैं, जिनमें से 35 पूरी हो चुकी हैं और 55 रेल मंत्रालय/भारतीय रेल, महापत्तनों और राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख): इस समय, 37 गैर-महापत्तनों द्वारा कार्गो की हैंडलिंग की जा रही है और वे 4 लेन की सड़क अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़े हैं। 38 गैर-महापत्तनों द्वारा कार्गो की हैंडलिंग की जा

रही है (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) और वे रेल से नहीं जुड़े हैं। मंत्रालय को सागरमाला के अंतर्गत वित्तपोषित संपर्कता परियोजनाओं के लिए समय और लागत को बढ़ाने के संबंध में कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ): जी, हां। परियोजनाओं के लिए मानदंडों के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और /अथवा राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) से यथालागू पर्यावरण/तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। एमओईएफएंडसीसी और सीजेडएमए द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, परियोजनाओं के विकास के भाग के रूप में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) जैसे अध्ययन कराए जाते हैं। परियोजनाओं हेतु इन अध्ययनों के आधार पर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक शमनकारी उपाय किए जाते हैं।

(ड.) और (च): जी, हां। अंतिम मील संपर्कता में सुधार करने और पत्तनों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने महापत्तनों और राज्य एजेंसियों के परामर्श से लगभग 80 रेल और सड़क संपर्कता परियोजनाओं को चिन्हित किया है और इन्हें रेल मंत्रालय (एमओआर) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से साझा किया है।

(छ): निजी निकायों द्वारा संचालित पत्तन, मौजूदा सड़क नेटवर्क के माध्यम से महापत्तनों और गैर-महापत्तनों से जुड़े हैं।

*****